न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2021 G.C.M.S. No. 2021/4 दर्ज दिनांक : 06.01.2021

अपीलार्थी:

1. खीमसिंह पुत्र सरदारसिंह, उम्र 70 वर्ष, जाति राजपुरोहित, निवासी ठाकुरला, तहसील पाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।
2. जिला कलक्टर, पाली।
3. सहायक अभियंता, सा.नि.वि. पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 62/2020 बअनवान खीमसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.12.2020

उपस्थित–

1. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राज पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 15.01.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध संख्या 62/2020 बअनवान खीमसिंह बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 23.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट की खातेदारी, कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम ठाकुरला, पटवार हल्का सोडावास, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडाएन्दला, तहसील पाली, जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 177 रकबा 36–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल, जिसका वार्षिक लगान 18.40/– रूपये की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 के पास से गांव सोडावास से गांव ठाकुरला होकर नाडोल जाने वाले रास्ता खसरा नम्बर 179 स्थित है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 द्वारा गांव सोडावास से गांव ठाकुरला जाने वाले रास्ते पर डामरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिस अनुसार खसरा नम्बर 179 जो गैर मुमकीन रास्ता दर्ज है। उस मूल रास्ते की भूमि को छोड़कर अपीलान्ट के कब्जाशुदा, खातेदारीशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 की भूमि पर मौके पर रास्ता बनाकर डामरीकरण करने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 उतारू है, जैसाकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 को करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलान्ट को खसरा नम्बर 177 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा की कृषि भूमि में से रास्ता निकालने बाबत रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 अथवा रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 ने कभी भी कोई मुआवजा नहीं दिया है, ना ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट की कृषि भूमि में से रास्ता अवाप्त करने हेतु अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को खसरा नम्बर 179 किस्म गै.मु. रास्ते की भली-भांति जानकारी होते हुये भी एवं खसरा नम्बर 177 अपीलान्ट की खातेदारी कब्जाशुदा कृषि भूमि होने की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को भी उपरोक्त रास्ते की भली भांति जानकारी होते हुए भी अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नियत से एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने की नियत से अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 177 में से जोर जबरदस्ती रास्ता निकालकर अपीलान्ट की कृषि भूमि की उपजाउता कम करने की चेष्टा रखते हुए एवम् अपीलान्ट की कृषि भूमि को हड़प करने की नियत रखते हुए अपीलान्ट की कृषि भूमि में से रास्ता निकालने हेतु आमादा हैं। जिस पर अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के सक्षम एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 का पेश किया, जिसे दर्ज किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये गये एवं बाद सुनने बहस अपीलान्ट के स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में अपीलान्ट के खातेदारी कृषि भूमि की जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे में जो खातेदारी कृषि भूमि बताई गई हैं, उस ओर ध्यान नहीं दिया जाकर केवल मात्र कयासों के आधार पर ही अपीलान्ट के स्थगन आवेदन को खारिज किया हैं। जबकि सम्पूर्ण पृष्ठ भूमि में अपीलान्ट का स्थगन प्रार्थना पत्र पोषणीय था।अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व कानूनी एवं दस्तावेजी साक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करते हुए आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 के पक्ष में अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि का आपत्ति कार्यवाही नहीं किये जाने के उपरान्त भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 03 के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाकर कानूनी भारी भूल की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी गिरधारीसिंह द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2020 को अंतरिम अस्थाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा पारित करने से इंकार करते हुए पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण हेतु नियत की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 06.01.2021 को अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा महज अपीलांट प्रार्थी की अस्थाई अंतरिम निषेधाज्ञा की प्रार्थना को अस्वीकार किया। जिसे प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित नहीं माना जा सकता। प्रकरण गुणावगुण रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही निर्णित किया जाना अपेक्षित है तथा जब तक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण अंतिम रूप से निर्णित नहीं कर दिया जाता तब तक न्यायालय हाजा से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हो सकती। अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **15.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner